

¹[धारा 53क : कतिपय रकमों का अंतरण

जहां इस अधिनियम के तहत इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के तहत इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता में कोई राशि स्थानांतरित की गई है, सरकार राज्य कर खाते या संघ में स्थानांतरित करेगी। प्रादेशिक कर खाता अथवा इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता से हस्तांतरित राशि के बराबर राशि, इस तरह से और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा धारा 53क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।